महत्वपूर्ण एवं खास

जिले में 447.1 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़ । चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 26 जुलाई तक 447.1 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 2.9 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 429 मिली मीटर, पुसौर में 576.4, खरसिया में 431.3, सारंगढ़ में 539.5, बरमकेला में 415.2, घरघोड़ा में 464.3, तमनार में 378, लैलूंगा में 354.6 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 435.6 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

पंचायत सचिव रोहिणी कुमार नायक निलंबित

रायगढ़ । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.रवि मित्तल ने ग्राम पंचायत हाटी के सचिव रोहिणी कुमार नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेख है कि सचिव रोहिणी कुमार नायक द्वारा तात्कालिन ग्राम पंचायत रजघटा अतिरिक्त प्रभार लोढ़ाझर का स्थानांतरण ग्राम पंचायत हाटी किए जाने के पश्चात उनके द्वारा पूर्व पंचायतों का संपूर्ण प्रभार नहीं सौंपा गया। नायक ग्राम पंचायत सचिव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण)नियम 1998 के नियम 3 के उप नियम (एक)(दो) एवं (तीन)विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है, फलस्वरूप छ.ग.पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील)नियम 1999 के नियम 4 के तहत रोहिणी कुमार नायक, ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत धरमजयगढ़ निर्धारित किया जाता है निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

काउंसलर चयन हेतु 2 अगस्त तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

रायगढ़ । जिला परियोजना लाईवलीहुड कालेज रायगढ़ में काउंसलर के चयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर आवेदकों की सूची जिले की वेबसाईट www. raigarh. gov.in तथा कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। इस संबंध में किसी भी आवेदक को कोई आपत्ति हो तो वे कार्यालय सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण रायगढ़ (जिला रोजगार कार्यालय परिसर मरीन ड्राईव एसईसीएल रोड, रायगढ़)के पते पर 2 अगस्त 2021 शाम 5.30 बजे तक स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक अथवा ई-मेल cssdmraigarh@gmail.com के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

कोरबा -अमृतसर त्रि-साप्ताहिक स्पेशल में एक अतिरिक्त अस्थाई स्लीपर कोच की सुविधा

रायपुर (आरएनएस)। यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 08237 / 08238 कोरबा -अमृतसर-कोरबा त्रि-साप्ताहिक स्पेशल में एक अतिरिक्त अस्थाई स्लीपर कोच की सुविधा दिनांक 27 जुलाई 2021 एवं 28 जुलाई 2021 को दी जा रही हैं।

इनामी कूपन व दूसरों की जमीन दिखा सौदा कर ठगी करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार

» ड्रीम ताज हली-डे प्रायवेट लिमिटेड के नाम से चलाई जा रही थी कंपनी, रायगढ़ सहित कई जिलों में किये हैं लाखों की ठगी

रायगढ़। कोतवाली पुलिस द्वारा जमीन/प्लाट धोखाधड़ी कर बिक्री करने वाले ऐसे गैंग के चार लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है जो प्लाट खरीदी पर हॉलिडे पैकेज का लुभावना स्कीम बताते थे। इनके द्वारा प्रदेश के कई लोगों को ठगी का शिकार बनाये हैं, कोतवाली पुलिस को आरोपीगण ठगी से प्राप्त 07 लाख रूपये को होल्ड कराया गया है तथा अन्य पीडितों के संबंध में जानकारी ली जा रही है।

जानकारी के असार प्रार्थी पन्ना खण्डे पिता ईशवर प्रसाद खण्डे निवासी करहीडीह थाना तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा दिनांक 25/07/2021 को थाना प्रभारी कोतवाली से मिलकर ठगी की घटना बताया। प्रार्थी बताया कि वर्तमान में नवोदय विद्यालय भूपदेवपुर में शिक्षक है कुछ महिने पहले मोबाईल नंबर 9031511298 के धारक द्वारा फोन करके बताया गया कि ड्रीम ताज हली-डे प्रा0लि0 नाम की कंपनी है जिसका रायगढ् के ग्रेड माल में आफिस है। किसी लक्की कूपन के माध्यम से उसने प्रथम प्राईज मिलना बताया गया तथा उक्त उपहार को लेने के लिए मुझे ग्रेंड माल में आने के लिए कहा गया। तब सह परिवार 15-07-2021 को ग्रेंड माल में उनके आफिस में पहुंचने पर वहां पर फील्ड ऑफिसर रोषन सिन्हा, प्रवेश कश्यप नाम के दो कर्मचारी मिले जिन्होने ड्रीम ताज हली-डे प्रा0लि0 के प्लान के बारे में बताये कि यदि उनके प्लान जो पांच वर्ष का है निवेष करता हू तो सह परिवार हर वर्ष 05 साल तक भारत में कहीं भी 03 से 05 दिन/रात के लिए टूर कर सकते है। साथ ही बिलासपुर चक्रभट्टा (धमनी) में एक हजार स्कायर फीट का जमीन उपहार में मिलेगा। उनके झासे में आकर इसने कुल 80-000 रूपये इनके बताये एकाउण्ट में ट्रांसफर कर दिया। उनके कहे अनुसार दिनांक 18-07-2021 को रोशन सिन्हा, प्रवेष कश्यप के साथ बिलासपुर चक्रभाटा गया। एक जमीन ग्राम धमनी में दिखाये जो पसंद नहीं आया। बाबजूद उसके वे लोग रजिस्ट्री के पहले 50-000 रूपये जमा कराने के लिए बोले। तब उसने निर्णय लिए कि उक्त जमीन को नहीं खरीदेगें तब इनके कार्यालय में आकर उक्त जमीन डील को केंसल करने का प्रोसेस पूछे। तब ये लोग साफ तौर पर मनाकर दिये और एडवांस के रूपये नहीं लौटाये और उन्हें शिकायत करने पर नुकसान करने की धमकी दिए। कोतवाली पुलिस द्वारा रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 1050/2021 धारा 420,506,34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा एसपी अभिषेक मीणा , एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा, सीएसपी अविनाश सिंह ठाकुर को घटना की जानकारी देते हुए उनके मार्गदर्शन पर आरोपियों को पतासाजी गिरफ्तारी के लिए रवाना हुये। कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपीगण, प्रवेश कशयप निवासी नागपुर, रोशन सिन्हा निवासी बालोद, कम्पनी के दो मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कामले तथा मैनेजिंग डायरेक्टर स्नेहल धोटे नागपुर को गिरफ्तार किया गया है।कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपीगण प्रार्थी के अलावा करीब 21 अन्य लोगों से धोखाधड़ी किया गया है जिनसे करीब 10 लाख 8000 हजार ठगी कर प्राप्त किए हैं। आरोपीगण द्वारा कंपनी ड्रीम ताज होलीडे के करंट इंडो सेंट बैंक में ठगी के जमा 7,00,000 रुपए को होल्ड कराया गया है साथ ही 21 पीडितों से संपर्क कर उनसे जानकारी ली जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को कोतवाली पुलिस द्वारा रिमांड पर भेजा गया है।

कुष्ठ मरीजों के खोज एवं निरंतर निगरानी का अभियान जारी

» सभी विकासखंडों एवं शहरी क्षेत्रों में दो चरणों में चलेगा अभियान

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर जिले के सभी विकासखंडों एवं शहरी क्षेत्रों में सक्रिय कुष्ठ मरीज खोज एवं निरंतर निगरानी अभियान दो चरणो में संचालित किया जा रहा हैं। इसमें से पहला चरण 15 जुलाई से शुरू किया गया है जो सितम्बर माह तक आयोजित होगा। दूसरा चरण दिसम्बर से फरवरी 2022 तक चलाया जाएगा। यह ए.सी.डी अभियान अति-संवेदनशील, संवेदनशील एवं सामान्य ग्रामो के साथ-साथ नगरीय निकायों के वार्डो में किया जाएगा। वर्तमान में सर्वे अभियान जिले के सभी विकासखंडों में शुरू हो गया हैं। रायपुर शहर में यह अभियान अगस्त माह से शुरू किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर डॉ. श्रीमती मीरा बघेल ने बताया कि निगरानी अभियान के लिये रायपुर जिले में 2 हजार 778 कुष्ठ खोजी दल बनाया गया हैं जिसके द्वारा गृह भेट कर संदेहास्पद चर्मरोगियों की खोज की जाएगी। इन दलों में एक मितानिन एवं एक स्वयंसेवी पुरुष कार्य करेंगें। जहां आर.एच.ओ. कार्यरत् है वहां पुरूष स्वसेवी सर्वेक्षण कार्य नहीं करेंगे। संदेहास्पद चर्मरोगियों का ए.एन.एम. द्वारा सत्यापित किया जावेगा इसके उपरांत मेडिकल ऑफिसर द्वारा सत्यापन किया जायेगा। संदेहास्पद मरीज मिलने पर खोजी दल द्वारा रिफरल स्लीप देकर निकट के स्वास्थ्य केन्द्र में कुष्ठ की पुष्टीकरण हेतु भेजा जायेगा जहां चिकित्सा अधिकारी द्वारा कुष्ठ की पुष्टीकरण करने के पश्चात् उनका तत्काल उपचार शुरू किया जायेगा। इस अभियान के लिये विकासखण्ड स्तर पर खोजी दल का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।

पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 21/07/2021 को थाना भूपदेवपुर में युवती द्वारा ग्राम नंदेली में रहने वाले आकाश महंत पर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पीड़िता बताई कि एस.के.एस. कम्पनी के केन्टीन में खाना बनाने का काम करने वाले आकाश महंत पिता अनिल महंत उम्र 19 साल निवासी ग्राम नंदेली से परिचय हुआ। दिनांक 17.02.21 को आकाश तुमको पसंद करता हूं शादी करूंगा कहकर और अपने किराए रूम में ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद से आकाश से मिलना जुलना बढ़ गया। आकाश भागकर शादी कर लेते हैं बोला तो उसे घरवालों की मर्जी से शादी करेंगे बोली। तब आकाश महंत अपने घरवालों को बताओ कहने पर अपने मम्मी पापा को बताई। घरवाले गांव के सरपंच, उप सरपंच को बताये तो बोले कि लॉकडाउन के बाद कोर्ट में शादी करा देगें। आकाश महंत भी कोर्ट में शादी करने को राजी था, तब से आकाश के किराए रूम में साथ रहती थी। दिनांक 21.06.21 के शाम आकाश कहीं चला गया, उसका मोबाइल भी बंद आया। तब घरवाले आकाश महंत के घर नंदेली गए तो उसके परिजन बोले कि यहां नही आया है, कहां गया हमें नही पता। युवती द्वारा आकाश पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और छोडकर भाग जाने को लेकर दिये गये आवेदन पत्र पर आरोपी आकाश महंत के विरूद्ध अप.क्र. 151/2021 धारा 376 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक उत्तम साहू लगातार आरोपी आकाश दीप महंत के गांव, घर आने की जानकारी मुखबिरों से ले रहे थे कि आज दिनांक 26/07/2021 को आरोपी आकाश दीप महंत पिता अनिल कुमार महंत ग्राम नंदेली थाना पुसौर के गांव आने की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

सोहेला उडीसा से गांजा लेकर आ रहा था आरोपी, 15 किलो गांजा और डिजायर कार जब्त

रायगढ़। सीमावर्ती प्रांत से मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने बार्डर से लगे हुए जिले के थानों के स्टाफ द्वारा प्रतिदिन विभिन्न चौंक-चौराहों पर वाहनों की सघन जांच की जाती है, जिसमें लगातार गांजा एवं शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं। आज भी बरमकेला पुलिस की वाहन चेकिंग दौरान सोहेला ओडिशा से अवैध गांजा लेकर जिले को पार करने की फिराक में आरोपी सुभाष चौंक बरमकेला के पास पकड़ा गया, आरोपी के कार से 15 किलो गांजा बरामद हुआ है। बरमकेला पुलिस आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही कर रिमांड पर भेजने की तैयारी कर रही है।

जानकारी के अनुसार आज दिनांक 26/07/2021 को थाना प्रभारी बरमकेला नेलसन कुजूर वाहन चेंकिग के लिये हमराह स्टाफ के साथ सुभाष चौक बरमकेला रवाना हुये थे। इसी दरम्यान दोपहर करीब 15.20 बजे सोहेला उडीसा तरफ से एक नीला रंग के डिजायर कार वाहन क्रमांक सीजी 11एजेड-6009 आयी, जिसे रोककर चालक से पूछताछ किया गया। चालक अपना नाम दीपक देवांगन पिता संतोष देवांगन उम्र 21 वर्ष सा0 लायंस चौक चांपा थाना चांपा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) का रहने वाला बताया। चालक को जांच कार्यवाही की जानकारी देकर उसके कार को चेक किया गया तो वाहन के सीट पीछे एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 08 पैकेट गांजा मिला, जिसकी गांजा की पुष्टि कर उसका तौल करने पर प्रत्येक पैकेट 01-01 किलोग्राम कुल 15 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती करीबन 75,000 रूपए पाया गया जिसे डिजायर कार क्रमांक सीजी 11एजेड-6009 के साथ गवाहों के समक्ष जप्ती की गई। आरोपी के विरूद्ध थाना बरमकेला में धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई है। बरमकेला पुलिस लगातार अवैध शराब, गांजा की तस्करी पर रोक लगाने में सफल हो रही है।

खनिज अमला अवैध रेत उत्खनन पर कर रहा औचक निरीक्षण-भूपेश बघेल

» 10 जून से 14 जुलाई की अवधि में अवैध रेत उत्खनन के 4 प्रकरण दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर संभाग में 118 स्थलों में रेत भंडारण की अनुमति विक्रय प्रयोजन हेतु जारी की गई है। रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में विधायक श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू के लिखित प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने विधायक के द्वारा मांगी गई जानकारी पर बताया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर की अवधि में नदी में रेत उत्खनन प्रतिबंधित किया गया है। जून 21 के बाद रायपुर संभाग के सभी जिलों में खनिज अंबे द्वारा अवैध उत्खनन की जांच के लिए औचक निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 10 जून से 14 जुलाई 2021 की अवधि में रायपुर संभाग में रेत के अवैध उत्खनन के कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं जिसमें से एक प्रकरण में 43 हजार रुपये समझौता राशि वसूल की गई है, शेष 3 प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलन में है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि 118 स्थलों में रेत भंडारण की अनुमति दी गई है जिसमें से 15 जून 2021 की स्थिति में 114 अनुज्ञाधारियों ने रेत भंडारण किया। चार अनुज्ञाधारी ने रेत का भंडारण नहीं किया है।

मतदाता सूची तैयार करने के लिये रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त

» पंचायत उप निर्वाचन 2021

रायगढ़ । छ.ग.राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा जारी आदेश के तहत छ.ग.पंचायत निर्वाचन एवं 1995 के नियम 14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भीम सिंह ने पंचायत उप निर्वाचन 2021 हेतु अर्हता तिथि 01 जनवरी 2021 के आधार पर मतदाता सूची तैयार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड रायगढ़ एवं पुसौर के अंतर्गत आने वाले रिक्त ग्राम पंचायत के लिये एसडीएम रायगढ़ को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार रायगढ़ एवं पुसौर को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अपर कलेक्टर रायगढ़ को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है।

विकासखण्ड सारंगढ़ एवं बरमकेला के अंतर्गत आने वाले रिक्त ग्राम पंचायत के लिये एसडीएम सारंगढ़ को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार सारंगढ़ एवं बरमकेला को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अपर कलेक्टर रायगढ़ को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है।

विकासखण्ड खरसिया के अंतर्गत आने वाले रिक्त ग्राम पंचायत के लिये एसडीएम खरसिया को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार खरसिया को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अपर कलेक्टर रायगढ़ को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है।

विकासखण्ड धरमजयगढ़ के अंतर्गत आने वाले रिक्त ग्राम पंचायत के लिये एसडीएम धरमजयगढ़ को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार धरमजयगढ़ को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अपर कलेक्टर रायगढ़ को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है।

विकासखण्ड घरघोड़ा एवं तमनार के अंतर्गत आने वाले रिक्त ग्राम पंचायत के लिये एसडीएम घरघोड़ा को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार घरघोड़ा एवं तमनार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अपर कलेक्टर रायगढ़ को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है।

कलेक्टर ने शहरी टीकाकरण केन्द्रों का किया निरीक्षण

» जिले के नगरीय निकायों में किया गया सघन टीकाकरण

रायगढ़ । कोरोना संक्रमण से बचाव एवं संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशन में वृहद स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज कलेक्टर सिंह द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक्रधर नगर, शासकीय प्राथमिक शाला पंजरी प्लांट तथा जतन केन्द्र स्थित टीकाकरण केन्द्रों का निरीक्षण किया। टीकाकरण केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिंह ने टीकाकरण केन्द्रों के लक्ष्य एवं टीकाकरण कराने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी ली। यहां उन्होंने नये दिशा-निर्देशों के अनुसार गर्भवती व शिशुवती महिलाओं के टीकाकरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि टीकाकरण गर्भवती व शिशुवती महिलाओं के लिए अति आवश्यक है। टीकाकरण सुरक्षित है, इससे गर्भवती महिलाओं के साथ उनके बच्चों को भी कोविड से सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को अधिक से अधिक टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिये कहा।

आज टीकाकरण अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने घर-घर पहुंचकर लोगों को टीका लगवाने की समझाईश दी। जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लगवाया था उन्हें टीके के फायदे बताकर उनकी हिचक दूर की गई और टीका लगवाया गया। इस दौरान गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को भी शासन के नये निर्देशों की जानकारी देकर कोविड टीके लगवाने से मां और बच्चे को मिलने वाली सुरक्षा के बारे में बताया गया। जिसके बाद बड़ी संख्या में गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं ने टीके लगवाये।

जिले में 9 लाख 30 हजार लोगों को लग चुका टीका– जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.भानू पटेल ने बताया कि नगरीय निकायों में शाम 5 बजे तक 5,070 लोगों को टीका लगाया गया। वहीं पूरे जिले में आज 11,013 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन सभी को टीके की पहली डोज लगाई गई। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 9 लाख 30 हजार 105 लोगों को टीके लगाए जा चुके है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480